

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ.28( ) परावि / प्रशा.2 / पंचा.प्र.अ. / अध्ययन स्वीकृति / 2015 / 26 / 19 जयपुर, दिनांक: 12.6.18

-: आ दे श :-

निम्नलिखित पंचायत प्रसार अधिकारियों द्वारा पत्राचार / स्वयंपाठी के रूप में उनके नाम के अंकित अध्ययन करने / आर.ए.एस. परीक्षा 2018 में बैठने की अनुमति चाही है :-

क्र. सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	पदस्थापित स्थान	अध्ययन / परीक्षा जिसके लिए स्वीकृति चाही है
1	श्री रामगोपाल शर्मा	जिला परिषद सीकर	बी.ए. (अन्तिम वर्ष)
2	श्री विक्रम जांगिड़	पं.स. बाडमेर	स्नातकोत्तर, राजनीति विज्ञान (प्रथम वर्ष)
3	श्री सांगसिंह राठौड़	पं.स. शेरगढ़ (जोधपुर)	बी.ए. (द्वितीय वर्ष)
4	श्री इन्द्र लाल	पं.स. मौलासर (बाडमेर)	बी.ए. (द्वितीय वर्ष)
5	श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़	पं.स. चाकसू (जयपुर)	एम.ए. (प्रिवियस) एवं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018
6	श्री अखिलेश शर्मा	जिला परिषद दौसा	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018
7	श्री बिहारी लाल जांगिड़	पं.स. मौलासर (बाडमेर)	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018
8	श्री बृजेश कुमार सैनी	पं.स. सांभरलेक (जयपुर) हाल कार्यव्यवस्था में पंचायती राज विभाग	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018
9	श्री रूपसिंह	पं.स. सेखाला (जोधपुर)	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018
10	श्री फूलचन्द यादव	जिला परिषद अलवर	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018

उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम 110 एवं कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग के परिपत्र पं.9(5)(30)कार्मिक/ क-3/जॉच/2004 दिनांक 18.11.2006 में दी गई शर्तों के अधीन पत्राचार / स्वयंपाठी के माध्यम से इनके नाम के सम्मुख अंकित अध्ययन / प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

*(Handwritten Signature)*

(पूनम प्रसाद सागर)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित
4. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु
6. आदेश पत्रावली ।

*(Handwritten Signature)*

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त